Greater Noida Industrial Development Authority

169,Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201306

PLG/ (BP-3532)..6808...

Dated...10-11-2015

CONDITIONAL with respect point no 17 vis-à-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and 14-09-2006 its amendment from time to time issued by Ministry of Environment & Forest

To,

M/s M/S AVDESH INFOTECH (P) LTD
Plot No-6A-Sector-|Techzone-04
Greater Noida

Sir,

With reference to your application no C-55559 dated 28-09-2015 for grant of Sanction of building plan on Plot No-6A-Sector-|Techzone-04, Greater Noida I have to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This Sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010.
2. The validity of this sanction is upto **Five Year.**
3. In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate.
5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission form the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2005. and direction made form time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well.
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various department prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. **Before starting construction the NOC is required form Ministry of Environment, Govt. of India. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**
18. **Mechanical Ventilation to be provided in the basement as per I.S Code.**
19. **Before starting construction the NOC is required form Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. the copy of NOC for C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**

10/11/15
Leenu Sahgal
G.M.(Plng./Arch)

Encl: Copy of sanctioned drawings ( )
Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a.

बेसमेन्ट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु
अनुमति–पत्र

M/s Avdesh Infotech Pvt Ltd पता–डी0–59 प्रथम फलौर स्वामी नगर नई दिल्ली द्वारा **प्लाट संख्या–06/ए सैक्टर–टेकजॉन–04 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर** क्षेत्र से **4000 वर्गमीटर** बेसमैन्ट का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल गहराई **8.00** मीटर है, सम्भावित प्रथम **6.00** मीटर गहराई तक **24000** घनमीटर सा0 मिट्टी का खनन प्रस्तावित है, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रू0 14/– प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन **रू0–3,36,000/–एवं शेष 2.00 मीटर गहराई तक 8000 घनमीटर** साधारण बालू का खनन किया जायेगा जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रू0 33/– प्रति घनमीटर की दर से **रायल्टी रू0–2,64,000/– होती है। इस प्रकार** कुल धनराशि **रू0–6,00,000/–**का भुगतान कर दिया गया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक **07.09.2015** द्वारा **03 माह** की अवधि के भीतर निम्मलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्र0 सं0	तहसील	प्लाट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1.	दादरी	**प्लाट संख्या–06/ए सैक्टर–टेकजॉन–04 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।**	**उक्त प्लाट का बेसमेन्ट ऐरिया 4000 वर्गमीटर है जिसकी की कुल गहराई 8.00 मीटर है।**

स्थानः गौतमबुद्धनगर
दिनांक 11/09/2015 से 10/12/2015 तक

शर्ते

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम–11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम–11 की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण एवं अवशेष एमएम–11 कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बेरिकेटिंग आदि लगागर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/साधारण मिटटी खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या–5 में दिये गये **Safeguards को कडाई से अपनाया जाना होगा।**
11. अनुमतिधारक द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकगनाईज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संरिथत या किसी अन्य नामों (डिजिग्नेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रवन्ना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है जिस भू–खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है. उस भू–खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रवन्ना का प्रयोग किसी ओर जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अविलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह

14. शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो के अधीन जिन आवेदन कर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शत प्रतिशत रायल्टी जमा करके नियमानुसार उक्त बेसमेन्ट की खनिज की निकासी करेगा इस प्रकिया में किसी व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दबाव या धन उगाही या गुंडा टैक्स जैसी अवैध वसूली की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या स्वंय द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा स्वंय या प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर उसपर अविलंब आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष की होगी।
15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उनका विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में मेन्टेन किया जायेगा जिसका निरीक्षण समय समय पर टास्क फोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस0टी0–डी0एम0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस0टी0–डी0एम0/2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजित नही करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजित कोई कर्मचारी कोई त्रुटि या शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठेकेदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तो के उल्लंघन के आधार पर उनके विरूद्ध नियमानुसार उक्त शर्तो का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसर कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तो के अनुरूप कार्य न करके, शर्तो का उलंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

11/9/15

जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 372/खनिज लिपिक/2014 दिनांक 11/9/15

प्रतिलिपिः
1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4 उप जिलाधिकारी दादरी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक– 904/ए0टी0/दिनांक–25.03.2014 द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तो/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
5 जिला खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
6 संबंधित थानाध्यक्ष, जनपद गौतमबद्धनगर।
7 M/s Avdesh Infotech Pvt Ltd पता–बी0–59 प्रथम फलौर स्वामी नगर नई दिल्ली द्वारा प्लाट संख्या–06/ए सैक्टर–टेकजॉन–04 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।